न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 83/2021
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2021/267

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. वेनाराम पुत्र श्री पोकर, जाति गाडोलिया लोहार, निवासी बिठू तहसील रोहट जिला पाली 2. राजूराम पुत्र श्री मदनलाल, जाति गाडौलिया लोहार निवासी बिठु रोहट जिला पाली।		1. मृतक देदा पुत्र तेजाजी 1/1. सुरेश पुत्र श्री देदाराम 1/2. पमीया पुत्र श्री देदाराम, जाति पटेल निवासी बिठू, तहसील रोहट जिला पाली। 1/3. सुमित्रा पुत्री देदाराम 1/4. गोपी पुत्री देदाराम 1/5. सारकी पत्नी ददाराम जातिगण पटेल निवासीगण बिठू, तहसील रोहट जिला पाली। 2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रोहट

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित
अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/5 की ओर से अधिक्ता श्री दौलत मकवाना

–: **निर्णय** :–

दिनांक :– 20.01.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत तहसीलदार रोहट द्वारा ग्राम बिठु के खसरा संख्या 499 रकबा 15 बीघा में आंवटन आदेश 01.07.1965 को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जैर आवंटन आदेश तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना उपस्थित हुए। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रकरण के संबंध में संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 देदा पुत्र तेजा जाति पटेल के नाम ग्राम बिठु के खसरा संख्या 499 रकबा 15 बीघा भू–आवंटन किया गया है। उक्त आंवटन में हल्का पटवारी रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 भूमिहीन है जबकी इस भूमि पर प्रार्थी व प्रार्थी के भतीज को मौके पर सामूहिक तौर पर कब्जा काश्त है, इसलिये कब्जे की भूमि को जो भू आवंटन किया है जो विधि विधान के प्रतिकूल है और इस पर प्रार्थी व प्रार्थी के भतीज का कब्जाकाश्त होने से व साथ ही प्रार्थीगण भूमिहीन है ऐसी सूरत में प्रथम तो धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली करनी थी और इस तरह का नोटिस देकर अधिपत्य विहिन करके ही भू आवंटन किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया, वैसे प्रार्थीगण भी इस भूमि पर कब्जे में थे तो नियमों के तहत प्रार्थीगण के कब्जे को विनियमित किया जाना चाहिये थे, जो नही किया है, इस कारण भी ऐसा भू आवंटन खारिज योग्य है। जैर आवंटन होने के पश्चात् भी आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना भी नहीं की गई। जैर आवंटन के समय आवंटी भूमिहीन नहीं था व आवंटी के नाम वक्त आवंटन उसके पूर्वजों से प्राप्त जमीन होने से उक्त जमीन में आवंटी का नोशनल शेयर होते हुये भी जैर

जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

आवंटन नियमन सलाहकार समिति के सामने भूमिहीन होने का मिथ्या प्रदर्शन करके भू आंवटन हासिल किया है जो सरासर धोखाधडी से प्राप्त किया है जो काबिले खारिज है। अतः जैर प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर जैर आवंटन अविधिक होने से खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि जैर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी को आवंटन की सचेष्ट जानकारी होते हुए भी करीब 56 वर्ष बाद प्रस्तुत हुआ है जो मियाद की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। जैर आवंटन के पश्चात आवंटन शर्तों की पालना की जाने पर आवंटी को सक्षम अधिकारी द्वारा खातेदारी अधिकार भी प्रदान कर दिये गये है जिससे अब उक्त आवंटन खारिज किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा मणीराम बनाम देवीसिंह आर.बी.जे. 2009 (16) पेज संख्या 789 न्यायिक नजीर प्रस्तुत की जिसमें सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि when disputed land was in possession of the appeallant as trespasser – Such possession would be considered as trespass – a trespassed land is not considered as an occupied land and such land is available for allotment अर्थात् अन्य व्यक्ति का कब्जा trespass ही माना जाता है जिससे प्रार्थी का उक्त भूमि में कोई locus standai नहीं होने से जैर प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 1995 पेज संख्या 780 पतराम बनाम राजस्थान सरकार, आर.बी.जे. 2005 पेज संख्या 113 मांगीलाल बनाम बदरीलाल न्यायिक नजीरे प्रस्तुत की। अतः जैर आवंटन विधिपूर्वक होने व प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आवंटन के 56 वर्षों के लम्बे अरसे के बाद पेश करने का विधिक अधिकार नहीं होने से सव्यय खारिज फरमावे।

प्रकरण में समायतशुदा बहस व पत्रावली के अवलोकन करने पर यह प्रकट आता है कि आवेदक द्वारा रेस्पो. 01 के पूर्वज देदाजी के पक्ष में ग्राम बिठू के खसरा संख्या 499 रकबा 15 बीघा जो कि दिनांक 01.07.1965 को आवंटित की गई थी, उसे निरस्त करवाये जाने हेतु जैर आवेदन नियम 14(4) अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया है तथा उक्त आवेदन में जो प्रमुख आधार लिये गये है वह यह है कि –

1. मिथ्या तथ्य प्रकट कर के जिसमें प्रमुखतया आवेदक का भूमिहीन नहीं होना बताया है।
2. विवादित भूमि पर आवेदक का कब्जा होना अवगत करवाया है तथा भूमि को अनधिवासित नहीं होना व्यक्त किया है।
3. आवंटन बाबत् आवेदन प्रस्तुत नहीं होना, उद्घोषणा नहीं होना तथा अधिपत्य विहिन भूमि की कोई सूची तैयार नहीं होना, कोरम का अभाव होना व आवंटन शर्तों की अपालना होना भी अवगत करवाया है साथ ही आवेदक प्रार्थी ने जैर आवंटन के इतने लम्बे अरसे बाद भी जैर आराजी अपने नाम होना अवगत करवाया है।

विपक्षी आवंटी द्वारा आवेदक प्रार्थी के उक्त सभी कथनों का विस्तारपूर्वक खंडन किया गया है।

प्रकरण में हम आवेदक के उज्रात का बिन्दुवार विवेचन करना उचित समझते है। सर्वप्रथम तो हम यह कहना उचित समझते है कि जैर आवंटन वर्ष 1965 में हुआ जबकि प्रार्थी द्वारा जैर प्रार्थना–पत्र निरस्तीकरण बाबत् वर्ष 2021 में यानि कि लगभग 56 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है जो स्वयं अपने आप में विस्मयकारी है।

1. आवेदक का प्रथम उज्र कि जैर आवंटन करवाने बाबत् जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया उसमें आवंटी द्वारा मिथ्या तथ्य प्रकट किये है परन्तु उक्त तथ्य को प्रमाणित किये जाने हेतु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है साथ ही आवंटी के पूर्वजों के नाम दर्ज भूमि व उसके नोशनल शेयर बाबत् कथन किया है जिस का विस्तृत खंडन आवंटी विपक्षी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 07 में किया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि आवेदक तत्समय भूमिहीन था तथा पिता के जीवनकाल में उक्त भूमि के co-parcener/सहदाई के होने का भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। तद्नुसार मिथ्या कथन के आधार पर आवंटन किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

2. द्वितीयतः आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर अपना कब्जा होना अवगत करवाया है, जिस बाबत् विपक्षी ने अपने पक्ष में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा मणीराम बनाम देवीसिंह आर.बी.जे. 2009 (16) पेज संख्या 789 न्यायिक नजीर प्रस्तुत की जिसमें सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि when disputed land was in possession of the appeallant as trespasser – Such possession would be considered as trespass – a trespassed land is not considered as an occupied land and such land is available for allotment अर्थात् अन्य व्यक्ति का कब्जा trespass ही माना जाता है तथा उसका कोई locus standai नहीं होता।

3. प्रार्थी आवेदक का तृतीय उज्र आवंटन बाबत् आवेदन प्रस्तुत नहीं होना, उद्घोषणा नहीं होना तथा अधिपत्य विहिन भूमि की कोई सूची तैयार नहीं होना परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने उक्त उज्र के समर्थन में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया किया है, जिससे प्रार्थी आवेदक का उक्त कथन भी माना जाने का कोई विधिक आधार नहीं है तथा आवेदक द्वारा इस हेतु कोई नकले मांगी गई हो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा इस बाबत् कोई विधिक पूर्ति नहीं की गई हो, ऐसा कोई साक्ष्य रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है। आवंटी के पक्ष में किये गये आवंटन के समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोरम अपूर्ण होने से संबंधित होने के कथन के समर्थन में भी अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है।

इसके अतिरिक्त 56 वर्ष पूर्व किये गये आवंटन में आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना माना जाना एवं विशेष रूप से तब जब सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये हो, कोई विधिक आधार नहीं है। आवेदक का यह कथन कि जैर आराजी पर उसका पश्चातवृति नाम दर्ज हुआ है परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त कथन भी समायपयोगी नहीं है क्योंकि जैर आवंटन विधिवत होना ही प्रमाणित है।

समग्र रूप से हम लगभग 56 वर्षों बाद सरसरी, अत्यन्त तकनीकी एवं सारहीन आधारों पर आवेदक द्वारा वर्णित आधारों पर जैर आवंटन को खारिज किये जाने के कोई विधिक एवं तथ्यात्मक आधार नहीं पाते है। अतएव प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) अविधिक एवं सारहीन होने से खारिज कर अप्रार्थी के पूर्वज देदाजी के पक्ष में ग्राम बिठू के खसरा संख्या 499 रकबा 15 बीघा के किये गये आवंटन आदेश दिनांक 01.07.1965 को बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **20.01.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner